संख्या-104/2016/1530/41-2016-81 यो0/2016

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 12 सितम्बर,2016**

विषय- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अमेठी की 01 एवं जनपद गाजीपुर की 03 योजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-766/6-1-1(767)/2016, दिनांक 26-08-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आगणन के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अमेठी की 01 एवं जनपद गाजीपुर की 03 योजनाओं जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका के कॉलम-2 में अंकित है, उन योजनाओं का निर्माण कार्य किये जाने के लिए कॉलम-3 में अंकित विवरण के अनुसार कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कालम-4 में कार्य की आगणित धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कॉलम 5 में अंकित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	**योजनाओं का नाम**	**कार्यदायी संस्था**	**प्रशासकीय स्वीकृति**	**वित्तीय स्वीकृति**
-1-	**-2-**	**-3-**	**-4-**	**-5-**
1	जनपद-गाजीपुर के तहसील जमानियॉं के ग्राम सेवराई में कोट स्थल पर रामलीला मंच का जीर्णोद्धार एवं स्थल का पर्यटन विकास।	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग।	39.90	19.95
2	जनपद-गाजीपुर के तहसील जमानियॉं के ग्राम सेवराई में ऐतिहासिक कोट स्थल (द्वितीय चरण) का पर्यटन विकास कार्य।	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग।	39.60	19.80
3	जनपद-गाजीपुर के तहसील जमानियॉं के ग्राम बारा में गंगा घाट किनारें शिव मन्दिर स्थल का पर्यटन विकास।	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।	32.14	16.07
4	जनपद अमेठी में सरईया सबलशाह (सादीपुर) ब्लॉक मुसाफिरखाना का पर्यटन विकास।	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	12.06	12.06

http://shsanadesh.up.nic.in

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों तथा वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

(3) कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) संबंधित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा नियमित रूप से योजना का अनुश्रवण किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-14-ऐतिहासिक/पौराणिक स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

<u>संख्या-104/2016/1350(1)/41-2016 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मण्डलायुक्त, वाराणसी/फैजाबाद।
4- जिलाधिकारी, गाजीपुर एवं अमेठी।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
8- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, वाराणसी/फैजाबाद।
9- प्रबन्ध निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता, (सोन) सिंचाई निर्माण मण्डल, वाराणसी।

http://shsanadesh.up.nic.in

11- श्री राजा राम, वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।

12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

http://shsanadesh.up.nic.in